

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2015/पौष 11, 1936

No. 15]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2015/PAUSHA 11, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2014

का.आ. 15(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुपालन में श्री दिलीप डी. जगदाले, डिप्टी कलेक्टर, महाराष्ट्र सरकार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई पुणे शोलापुर पाइपलाइन के लिए सक्षम अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए, श्री संजीव जाधव के स्थान पर प्राधिकृत किया जाता है।

2. इसे भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 264 दिनांकित 20 जनवरी, 2005, का.आ. 2846 दिनांकित 8 अगस्त, 2005 तथा का.आ. 674 दिनांकित 24 मार्च, 2008 में संशोधन के रूप में जारी किया जाता है।

यह अधिसूचना इसे जारी करने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. आर.-31015/6/14-ओ.आर.-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2014

S.O. 15(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) Shri Dilip D. Jagdale, Dy. Collector, Government of Maharashtra is hereby authorized to perform the functions of Competent Authority; under the Act of Hindustan Petroleum Corporation Limited's Mumbai Pune Solapur Pipeline in the place of Shri Sanjeev Jadhav.

2. This issues in modification of the Government of India Notification number S.O. 264 dated 20th January, 2005, S.O. 2846 dated 8th August, 2005 and S.O. 676 dated 24th March, 2008.

This notification will be effective from date of issue.

[F. No. R-31015/6/14-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

19 GI/2015